# No. 44972*

# France
# and
# India

**Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of India on India-French development cooperation through AFD. New Delhi, 25 January 2008**

**Entry into force:** *25 January 2008 by signature, in accordance with article 6*

**Authentic texts:** *English, French and Hindi*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *France, 2 June 2008*

# France
# et
# Inde

**Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération franco-indienne pour le développement mise en oeuvre par l'AFD. New Delhi, 25 janvier 2008**

**Entrée en vigueur :** *25 janvier 2008 par signature, conformément à l'article 6*

**Textes authentiques :** *anglais, français et hindi*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *France, 2 juin 2008*

* *The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. Their final UNTS version is not yet available.*

*Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Leur version finale RTNU n'est pas encore disponible.*

[ HINDI TEXT – TEXTE HINDI ]

फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार

एक ओर

और

भारत गणराज्य की सरकार

दूसरी ओर

जिन्हें यहां इसके पश्चात "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

दोनों देशों को एक सूत्र में बांधने वाले मैत्री और राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों का आह्वान करते हुए ;

19 से 21 फरवरी, 2006 के दौरान फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के दौरान की गई द्विपक्षीय वचनबद्धताओं का आह्वान करते हुए;

आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपनी इच्छा के बारे में विश्वास दिलाते हुए;

19 जून, 2006 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा, भारत को उदार, बिना शर्त विकास सहयोग सहायता देने के लिए एजेंसी फ्रांसेस डी डेवलपमेंट (फ्रांसीसी विकास अभिकरण, एएफडी) को अधिकृत करने के अपने निर्णय का आह्वान करते हुए;

इस निर्णय पर भारत सरकार की अनुकूल प्रतिक्रिया को देखते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

## अनुच्छेद-1
## करार का उद्देश्य

संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि भारत में एएफडी के माध्यम से फ्रांसीसी विकास सहयोग की गतिविधियों से संबंधित सामान्य संरचना, संस्थागत व्यवस्थाएं और राजकोषीय पहलुओं को परिभाषित करने के लिए इस करार ("करार") को निष्पादित करना उन दोनों के हित में है।

भारतीय वित्त मंत्रालय और एएफडी के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले और दोनों पक्षों द्वारा समय-समय पर पुनःपरीक्षण किए जाने वाले "संरचना सहयोग करार" भारत में एएफडी की फ्रांसीसी विकास सहयोग संबंधी गतिविधियों के विशिष्ट तरीकों और कार्यवाहियों को निर्दिष्ट करेगा, जिनमें उसके हस्तक्षेप के तकनीकी, विधिक, राजकोषीय और वित्तीय पहलू भी शामिल होंगे।

इस सहयोग के भाग के रूप में किया गया कोई भी कार्यकलाप, संविदाकारी पक्षों द्वारा परिभाषित सामरिक प्राथमिकताओं और प्रचालनात्मक तौर-तरीकों की संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

## अनुच्छेद-2
## एएफडी के कार्यकलापों का कार्यक्षेत्र

एएफडी के माध्यम से प्राप्त फ्रांसीसी विकास सहयोग भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार (सरकारें) और/अथवा भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रमों) को बिना शर्त ऋणों, अनुदानों अथवा किसी भी प्रकार के वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता के रूप में होगा। भारत-फ्रांसीसी विकास सहयोग भारत सरकार के विकास सहयोग से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

## अनुच्छेद 3
## विधिक स्थिति

एएफडी को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर पूरे कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे और इस प्रकार वह संविदाएं निष्पादित कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान कर सकता है तथा न्यायिक कार्यवाहियों में भाग ले सकता है।

## अनुच्छेद 4
## भारत में एएफडी का स्थानीय प्रतिनिधित्व

एएफडी भारत-फ्रांसीसी विकास सहयोग कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अपने प्रत्यक्ष और संपर्क क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए भारत में कार्यालय की स्थापना करने हेतु प्राधिकृत है।

एएफडी, भारत में अपने कार्यालय के संचालन के लिए आप्रवास कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन यथावश्यक प्रवासी एजेंटों की संख्या और योग्यता निर्धारित करेगा।

एएफडी कार्यालय अपने क्रियाकलापों के संचालन को सुकर बनाने के लिए सीधे तौर पर स्थानीय कर्मचारियों और गैर-भारतीय राष्ट्रिक की नियुक्ति कर सकता है जो भारत में स्थानीय संविदा के अधीन भारत में निवास करते हैं।

## अनुच्छेद 5
## विवादों का निपटान

संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार के प्रावधानों की व्याख्या या प्रयोग के संबंध में किसी विवाद अथवा भारत गणराज्य की सरकार और एएफडी के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले किसी मामले का निपटान बातचीत द्वारा या संविदाकारी पक्षों के बीच सहमत किसी अन्य तरीके से किया जाएगा।

## अनुच्छेद 6
## प्रवृत्त होना

यह करार इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

## अनुच्छेद 7
## करार-समाप्ति

यह करार दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति से समाप्त किया जा सकेगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस करार पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।